न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर ए एस

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
28 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	20.03.2020	08.10.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल निवासी धाकड कॉलोनी जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक एफ.बी.ओ मैसर्स विनोद कुमार पवन कुमार कटला चौराहा के पास टोडारायसिह जिला टोंक
2– मैसर्स विनोद कुमार पवन कुमार कटला चौराहा के पास टोडारायसिह जिला टोंक
3–अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बंशीधर अग्रवाल निवासी प्लाट नं0 07 अम्बिका गैस की गली अम्बाबाडी जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स अशोका एन्टरप्राईजेज दुकान नं0 5 शान्ति सदन वराह जी का चौक गणगोरी बाजार जयपुर राज0
4– मैसर्स अशोका एन्टरप्राईजेज दुकान नं0 5 शान्ति सदन वराह जी का चौक गणगोरी बाजार जयपुर राज0
5–श्रीमति उमा अग्रवाल पुत्र श्री पवन कुमार अग्रवाल निवासी प्लाट नं0 7 बाल निकुंज अम्बिका गैस की गली सीकर रोड अम्बाबाडी जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स सिद्वि विनायक ट्रेयर्स दुकान नं0 6 शान्ति सदन वराह जी का चोक गणगोरी बाजार जयपुर राज0
6– मैसर्स सिद्वि विनायक ट्रेयर्स दुकान नं0 6 शान्ति सदन वराह जी का चोक गणगोरी बाजार जयपुर राज0
7–श्री गुरपुर गिरिधर प्रभू डायेरेक्टर मैसर्स ऑचल इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 207 इण्डस्ट्रीज एरिया बाईकापाडी मैगलोर कर्नाटका
8–श्रीमति अर्चना गिरिधर प्रभू डायरेक्टर मैसर्स ऑचल इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 207 इण्डस्ट्रीज एरिया बाईकापाडी मैगलोर कर्नाटका
9– मैसर्स ऑचल इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 207 इण्डस्ट्रीज एरिया बाईकापाडी मैगलोर कर्नाटका

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:25:48 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

:–निर्णय–: दिनांक 08.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.10.2019 को समय 3.00 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स विनोद कुमार पवन कुमार कटला चौराहा के पास टोडारायसिह जिला टोंक पर पहुंचां। प्रोपराईटर की हैसियत से श्री विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल निवासी धाकड कॉलोनी जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक एफ.बी.ओ मैसर्स विनोद कुमार पवन कुमार कटला चौराहा के पास टोडारायसिह जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **ड्राई फ्रूट्स काजू (ऑचल ब्राण्ड)** के बैच नम्बर जी 37–38 एंव पैकिग की दिनांक 14.06.2019 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री विनोद कुमार अग्रवाल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता विनोद कुमार अग्रवाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 250–250 ग्राम पैक के 16 पैकेट **ड्राई फ्रूट्स काजू (ऑचल ब्राण्ड)** रखे हुये मे से 250–250 ग्राम के 4 पैकेट वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री विनोद कुमार अग्रवाल को रू0 1040/–अक्षरे एक हजार चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **ड्राई फ्रूट्स काजू (ऑचल ब्राण्ड)** 4 पैकेट 250–250 ग्राम पैक को ज्यो का त्यो एक–एक पैकेट के बराबर–बराबर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2328 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2328 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. विनोद कुमार अग्रवाल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे [illegible] चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्र[illegible] समय श्री विनोद कुमार अग्रवाल ने मौके पर **ड्राई फ्रूट्स काजू (ऑचल ब्राण्ड)** का कोई बिल प्रस्तुत ना कर पत्राचार करने पर बतोर वारंटी बिल मैसर्स अशोका एन्टरप्राईजेज दुकान नं. 5 शान्ति सदन वराह जी का चौक गणगोरी बाजार जयपुर राज0 का बिल क्रमांक/इन्वो. नं0 जीआई/2727 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:25:48 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

09.10.2019 की छायाप्रति पेश की। मैसर्स अशोका एन्टरप्राईजेज से पत्राचार करने पर उनके द्वारा मैसर्स सिद्वि विनायक ट्रेयर्स दुकान नं0 6 शान्ति सदन वराह जी का चोक गणगोरी बाजार जयपुर राज0 का बिल कमांक/इन्वॉइस नं0 जीएस/852 दिनांक 01.10.2019 की छायाप्रति पेश की और प्रोपरायटर श्री अशोक कुमार अग्रवाल के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की। मैसर्स अशोका एन्टरप्राईजेज से पत्राचार करने पर उनके द्वारा मैसर्स ऑचल इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 207 इण्डस्ट्रीज एरिया बाईकापाडी मैगलोर कर्नाटका का बिल कमांक/इन्वॉइस नं0 207/19–20/123 दिनांक 15.06.2019 की छायाप्रति पेश की और प्रोपरायटर श्रीमति उमा अग्रवाल के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2019/2330 दिनांक 07.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2306/एक्ट/2019/1846 दिनांक 23.10.2019 अनुसार विनोद कुमार अग्रवाल से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **ड्राई फ्रूट्स काजू (ऑचल ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (xf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **ड्राई फ्रूट्स काजू (ऑचल ब्राण्ड)** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 और अप्रार्थी संख्या 3 ता. 9 की और से उनके प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **ड्राई फ्रूट्स काजू (ऑचल ब्राण्ड)** का विकय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **ड्राई फ्रूट्स काजू (ऑचल ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:25:48 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49)के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल निवासी धाकड कॉलोनी जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक एफ.बी. ओ मैसर्स विनोद कुमार पवन कुमार कटला चौराहा के पास टोडारायसिह जिला टोंक पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) अप्रार्थी श्री अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बंशीधर अग्रवाल निवासी प्लाट नं0 07 अम्बिका गैस की गली अम्बाबाडी जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स अशोका एन्टरप्राईजेज दुकान नं0 5 शान्ति सदन वराह जी का चौक गणगोरी बाजार जयपुर राज0 पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) अप्रार्थीया श्रीमति उमा अग्रवाल पुत्र श्री पवन कुमार अग्रवाल निवासी प्लाट नं0 7 बाल निकुंज अम्बिका गैस की गली सीकर रोड अम्बाबाडी जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स सिद्वि विनायक ट्रेयर्स दुकान नं0 6 शान्ति सदन वराह जी का चोक गणगोरी बाजार जयपुर राज0 पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) अप्रार्थी श्री गुरपुर गिरिधर प्रभू डायेरेक्टर मैसर्स ऑचल इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 207 इण्डस्ट्रीज एरिया बाईकापाडी मैगलोर कर्नाटका पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) अप्रार्थीया श्रीमति अर्चना गिरिधर प्रभू डायरेक्टर मैसर्स ऑचल इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 207 इण्डस्ट्रीज एरिया बाईकापाडी मैगलोर कर्नाटका पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.10.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:25:48 IST
Reason: SelfAttested